



म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(म.प्र.शासन का उपक्रम,)सीआईएन:यू40109एमपी 2001एसजीसीओ14880
पंजी. कार्या: शक्ति भवन, रामपुर,पो.आ.विद्युत नगर जबलपुर (म.प्र.)482008,दूरभाष:(0761)2702036,2702041
फैक्स:(0761) 2664450, ई.मेल: ce.ca@mptransco.nic.in

क्रमांक अ.स./एमपीपीटीसीएल/ई-1/648

जबलपुर, दिनांक 14 FEB 2019

लाइन परिचारक(संविदा) की द्वितीय प्रतीक्षा सूची का संचालन/चयन सूची

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में लाइन परिचारक (संविदा) के पदों पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/ई-1/3926, दिनांक 08.12.2017 एवं विज्ञापन क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/ई-1/1635, दिनांक 31.05.2018 के परिप्रेक्ष्य में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कार्य पर उपस्थिति नहीं दिये जाने/त्यागपत्र दिये जाने के कारण द्वितीय प्रतीक्षा सूची को संचालित करते हुए निम्न अभ्यर्थियों को प्रावधिक रूप से चयनित किया जाता है:-

SELECT LIST OF LINE ATTDT. (CONTRACT) BATCH 2018

S.No.	Application No.	Name S/Shri	Father's Name	Caste
1	2	3	4	5
अनारक्षित वर्ग में चयनित				
1	TJ0518000249	Swatantra Das Kabirpant	Hemant Das	Gen.
2	TJ0518001452	Shivsagar Singh Thakur	Prahlad Thakur	Gen.
3	TJ0518001882	Arpit Jain	Ajay Jain	Gen.
4	TJ0317000329	Anurag Nayak	Vinod Nayak	OBC
5	TJ0317000744	Chandrakant Sharma	Ravi Prakash Sharma	Gen.
6	TJ0317001552	Dharmendra Kumar	Ramsumer	Gen.
7	TJ0518001152	Naresh Kumar	Puran Lal	OBC.
अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित				
1	TJ0518001045	Praveen Thakre	Raghunath Thakre	OBC.
अनुसूचित जाति वर्ग में चयनित				
1	TJ0518001577	Amit Piparde	Ramesh Piparde	SC
अनुसूचित जनजाति वर्ग में चयनित				
1	TJ0518001559	Ambaram Alawa	Indra Singh Alawa	ST
2	TJ0518002138	Jaypal	Pyar Singh	ST

उपरोक्त प्रतीक्षा सूची में से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति, अर्हता, नियुक्ति के समय मूल दस्तावेजों/वांछित दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु उपस्थिति दिनांक, स्थान के संबंध में पत्र मुख्य अभियंता (अउदा-निर्माण) एवं मुख्य अभियंता (अउदा-संधा एवं निरी.) जबलपुर द्वारा पृथक से जारी किए जावेंगे। समस्त अभ्यर्थी अपने समस्त आवश्यक दस्तावेज यथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, दसवीं की अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र आदि जो भी वांछित हो तथा शारीरिक दक्षता

परीक्षण के समय घोषणा पत्र में इंगित किए गए दस्तावेज अनिवार्य रूप से लेकर उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में अन्य विभाग/संस्थान में कार्यरत हैं, वे आवश्यक रूप से अपने त्यागपत्र स्वीकृति के प्रमाण सहित कार्यपर नियत तिथि तक निर्धारित कार्यस्थल पर उपस्थित होंगे। पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत अभ्यर्थी संबंधित कंपनी का अनापत्ति प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करेंगे। उपस्थिति की दिनांक तथा कार्यालय की जानकारी चयनित अभ्यर्थियों को पृथक सूचित की जावेगी।

अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र तथा संलग्न अनुबंध पत्र का सूक्ष्मता से अध्ययन कर उक्त अनुबंध का प्रावधानानुसार निष्पादन कराकर उपस्थिति के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे। अनुबंध पत्र का प्रारूप इस सूचना के अंत में संलग्न है, जिसे डाउन लोड कर रु. 500/- के स्टांप पेपर (अतिरिक्त पेपर अनिवार्य रूप से वाटरमार्क वाले होंगे) पर नोटराईज्ड अनुबंध पत्र निष्पादित करायेंगे। अनुबंध पत्र के संबंध में दिशानिर्देश एवं शपथपत्र का प्रारूप संलग्न है।

अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थिति देने के पूर्व जिला चिकित्सा बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपस्थिति कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिला चिकित्सा बोर्ड में देय शुल्क अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जावेगा। अभ्यर्थी वेबसाइट/प्रस्ताव पत्र प्राप्ति पश्चात तत्काल संबंधित जिला चिकित्सा बोर्ड से संपर्क कर फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन करवाया जायेगा, जिस हेतु अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में अनुप्रमाण फार्म, कार्य पर उपस्थिति के 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत करना होगा।

आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन, जाति प्रमाण जारी करने वाले कार्यालय से करवाया जावेगा। कृपया नोट करें, जाति प्रमाणपत्र/चरित्र प्रमाणपत्र में प्रतिकूल टिप्पणी/जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल सेवा से पृथक कर विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकती है।

अभ्यर्थी की नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा चयन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक/वांछित मूल दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। उक्त प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता पाये जाने पर अथवा कंपनी को किसी भी असत्य/गलत/भ्रामक जानकारी देने वाले अभ्यर्थी के विरुद्ध समुचित कार्यवाही/संविदा से पृथक/उम्मीदवारी समाप्त करने का पूर्ण अधिकार कंपनी का होगा। अतः अभ्यर्थी नियत कार्यालय में उपस्थिति पूर्व स्वयं की उम्मीदवारी/अर्हता सुनिश्चित करेंगे।

अभ्यर्थी द्वारा नियत कार्यालय में निर्धारित दिनांक तक उपस्थिति अनिवार्य होगी।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

HM
मुख्य अभियंता (मानव संसाधन एवं प्रशासन)



GUIDELINES FOR EXECUTING THE SERVICE AGREEMENT-CUM-SURETY BOND FOR LINE ATTENDANT (CONTRACT)

Please read the following instructions carefully before you proceed to execute the Service Agreement-cum-Surety Bond:

1. The first page of the Service Agreement-cum-Surety Bond should be printed and typed on Rs 500.00 non-judicial stamp paper, with the specific purpose of executing Service Agreement-cum-Surety Bond in favour of M.P. Power Transmission Co. Ltd. **The additional sheets/ continuation sheets used, if any, should be on a good quality watermark paper.**
2. **The candidate and the Surety should sign on all pages of the Bond. All cuttings, erasing, filling up the blanks by ink or over-writings if any, should be duly initialed or authenticated by the executants. However, no cutting should be done on the first and last page.**
3. The Permanent Account Number (PAN.) issued by Income Tax Department of surety should be indicated in the Bond legibly under his/her signature. The Surety should also attach a photocopy of his/her PAN Card, duly attested by a Gazetted Officer.
4. Witnesses should be persons known to the Candidate and Surety respectively.
5. Leave the date blank on the first and last page of the Bond.
6. The last page of the Bond should be got so typed that signature of Candidate, Surety, employer, witnesses and attesting Notary Public or Gazetted Officer appear in one page.



शपथ - पत्र

(नॉन-ज्यूडिशियल स्टेम्प पेपर में नोटरी द्वारा सत्यापित)

मैं शपथग्रहिता सत्य प्रतिज्ञा पर शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि:-

मेरा नाम	-
पिता नाम	-
आयु	-
व्यवसाय	-
निवासी (पूर्ण पता)	-

यह कि मुझे शपथग्रहिता के विरुद्ध भारत में किसी थाना अथवा न्यायालय में किसी प्रकार का अपराधिक प्रकरण दर्ज अथवा विचाराधीन नहीं है, ना ही मैं किसी भी अपराधिक प्रकरणों में दोष सिद्ध घोषित किया गया हूँ और ना ही अवैधानिक गतिविधियों में शामिल रहा हूँ।

यह कि मैं, शपथग्राहित चरित्र सत्यापन बावत् उक्त दिये गये कथन के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। किसी प्रकार की विवाद की स्थिति में जवावदारी मुझ शपथग्रहिता की रहेगी।

स्थान-

दिनांक शपथग्रहिता

सत्यापन

उक्त शपथ-पत्र के कथनप्रारूपसे अंत तक ~~खाली~~ कथन मेरी निजी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। इसमें किसी प्रकार का असत्य कथन नहीं किया गया है, न ही सत्य को छिपाया गया है।

गवाह -

शपथग्रहिता

स्थान-

दिनांक

लाइन परिचारक (संविदा) पद के लिए सेवा अनुबंध

यह संविदा अनुबंध दिनांक माह वर्ष
को एक पक्ष के रूप में म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (पंजीकृत कार्यालय ब्लाक नंबर दो, शक्ति भवन, पोस्ट विद्युत नगर, रामपुर, जबलपुर, म.प्र.) के मुख्य अभियंता (.....)/ कार्यालय प्रमुख (जो कि इसमें/इसके पश्चात नियोजक अथवा नियोजक कंपनी के रूप में निर्दिष्ट हैं)

एवं द्वितीय पक्ष के रूप में

श्री आत्मज श्री निवासी
..... तहसील जिला (म.प्र.), (जो कि इसमें/इसके पश्चात संविदा कार्मिक के रूप में निर्दिष्ट हैं)

एवं तृतीय पक्ष के रूप में

श्री आत्मज श्री निवासी
तहसील जिला (म.प्र.) (जो कि इसमें/इसके पश्चात जमानतदार के रूप में निर्दिष्ट हैं)

के मध्य निष्पादित किया गया।

जैसा कि नियोजक द्वारा संविदा आदेश क्रमांक दिनांक द्वारा संविदा पर अनुबंधन प्रस्ताव दिया गया है, जो कि पदनाम लाइन परिचारक (संविदा) हेतु अभ्यर्थी द्वारा बिना किसी शर्त के स्वीकार किया गया है।

अतएव पक्षकारों के बीच निम्नानुसार अनुबंध किया जाता है कि,

- (1) यह अनुबंध संविदा कर्मी की कार्य पर उपस्थिति दिनांक से तीन वर्ष के लिए निष्पादित माना जावेगा। ,
- (2) यह कि संविदा पर नियुक्त श्री पद लाइन परिचारक (संविदा) का दर्जा किसी भी दशा में नियोजक कंपनी सेवक का नहीं होगा।
- (3) श्री पद लाइन परिचारक (संविदा) का नियोजन कंपनी के मध्यप्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित किसी भी कार्यालय में किया जा सकेगा, जिस हेतु पक्षकार 2 पूर्णतः सहमत है।
- (4) नियोजन प्रस्ताव में उल्लेखित शर्तों के अनुसार निर्धारित तीन वर्ष की अनुबंधित अवधि पूर्ण होने पर संविदा स्वतः में ही समाप्त हो जायेगी, तथापि कंपनी को आवश्यकता होने पर कम से कम 3 कार्यदिवस के अंतराल के पश्चात संविदा नियम

- के तहत नियोजित कर्मी का कार्यप्रदर्शन उत्तम होने पर संविदावधि बढ़ायी जा सकेगी। जिसके लिए संविदा कर्मी को फिर से अनुबंध करना होगा।
- (5) संविदा की पर्यावसान (समाप्ति), उसके जारी रहने के दौरान किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा अन्य पक्ष को उस आशय की लिखित में कम से कम एक माह की लिखित सूचना देकर एवं बिना कोई कारण बताये की जा सकेगी। नियोजक कंपनी द्वारा या उसकी ओर से दी गई ऐसी सूचना के बारे में समझा जायेगा कि वह पर्याप्त सूचना है, यदि वह संविदा कार्मिक के अंतिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजी गई है।
- परन्तु, संविदा कार्मिक की सेवायें नियोजक द्वारा बिना किसी सूचना के एक मास के संविदा पारिश्रमिक (remuneration) का भुगतान करते हुए बिना कोई कारण बताये भी समाप्त की जा सकेगी।
- परन्तु, यह और कि संविदा कार्मिक द्वारा एक मास की अपेक्षित सूचना दिये बिना, संविदा कालावधि की समाप्ति यदि की जाती है तो वह एक मास के संविदा पारिश्रमिक के बराबर भुगतान नियोजक को करेगा।
- (6) संविदा कार्मिक की सेवायें, नियोजक द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी यदि संविदा कार्मिक नियोजक द्वारा किसी अनाचार/ कदाचरण का दोषी पाया जाता है या इस संविदा के निबंधनों या अपने कर्तव्यों या समय—समय पर उसे सौंपे गये किन्हीं कर्तव्यों का जानबूझकर उल्लंघन या उसकी उपेक्षा करने का दोषी पाया जाता है।
- (7) संविदा पर नियोजित कार्मिक, नियोजक कंपनी की संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) संशोधित नियम 2018 में प्रावधनित नियमों तथा उसमें समय—समय पर किये गये संशोधनों के अधीन होगा।
- (8) नियंत्रणकर्ता अधिकारी संविदा कार्मिक का कार्य प्रदर्शन, आचरण इत्यादि के आधार पर प्रत्येक वर्ष कार्यदक्षता प्रतिवेदन तैयार करेंगे। संविदा अवधि में अगले विस्तार का निर्धारण म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि. के संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) संशोधित नियम 2018 में निहित प्रावधानों तथा उसमें समय—समय पर किये गये संशोधनों के अधीन होगा। यदि कार्यदक्षता प्रतिवेदन में संतोषजनक अंक पाने में संविदा कर्मी विफल रहता है, तो संविदा अनुबंध तत्काल समाप्त कर दिया जावेगा।
- (9) नियोजन की अवधि के दौरान संविदा कार्मिक को म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी, संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) संशोधित नियम 2018 के अनुसार नियत स्थिर राशि ₹.17,550/- (रुपये सत्रह हजार पाँच सौ पचास मात्र) के आधार पर निर्धारित संविदा पारिश्रमिक (Remuneration) का भुगतान किया जायेगा। यह स्थिर राशि उनकी अनुबंध अवधि हेतु एवं यदि अनुबंध अवधि में वृद्धि भी की जाती है तो भी नियमानुसार स्थिर रहेगी। संविदा कर्मी को अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
- (10) संविदा पर अनुबंधित कार्मिक नियमितिकरण, पेंशन तथा सेवात प्रसुविधा इत्यादि का पात्र नहीं होगा एवं संविदा सेवा अवधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

- (11) नियोजक को यह विधिक अधिकार है कि वह संविदा के अस्तित्व में रहने के दौरान किसी भी समय संविदा कार्मिक की सेवाओं को समाप्त कर दें यदि, सम्यक रूप से गठित सलाहकार चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि संविदा कार्मिक के खराब स्वास्थ्य की वजह से विचारार्थ कालावधि के लिये उसके अयोग्य बने रहने की संभावना है, तो उसकी सेवायें उसे एक मास की सूचना देकर समाप्त कर दी जायेंगी। इस प्रकार सेवा समाप्ति की स्थिति में (नियोजक को) संविदा की अनवसित कालावधि के लिये कोई भी प्रतिकर (अधिभार) भुगतान करने का दायित्व नहीं होगा।
- (12) संविदा कार्मिक का नियोजक द्वारा चरित्र सत्यापन करवाया जायेगा। इस हेतु यथा विहित जानकारी 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। यदि चरित्र सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो यह संविदा नियुक्ति, इस आधार पर तुरन्त रद्द की जा सकेगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन सक्षम अधिकारी से कराया जायेगा। जाति प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर अनुबंध समाप्त किया जायेगा।
- (13) संविदा कार्मिक को संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) संशोधित नियम 2018 में इंगित प्रावधानानुसार अवकाश की पात्रता होगी।
- (14) यदि संविदा कार्मिक उसकी संविदा नियुक्ति आदेश में इंगित नियंत्रक अधिकारी की सम्यक अनुमति के बिना अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहता है या उल्लेखित दिन या कालावधि से अधिक के अवकाश का उपभोग करता है/ अनुपस्थित रहता है तो उसके संविदा पारिश्रमिक में से ऐसी कालावधि के लिये अनुपातिक पारिश्रमिक की कटौती की जाएगी।
- (15) केवल नियोजक कंपनी कर्तव्य पर यात्रा करते समय संविदा कर्मी को म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के संबंधित श्रेणी के कर्मी हेतु समकक्ष नियमित पद के अनुरूप लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा, यदि नियोजक द्वारा इस बावद अनुमति एवं अनुशंसा सहित प्रमाणित किया गया है।
- (16) संविदा कार्मिक एवं जमानतदार यह प्रमाणित करते हैं कि वह इस हेतु सहमत हैं कि संविदा कार्मिक की किसी भी लापरवाही अथवा किसी कृत्य से यदि नियोजक की किसी भी तरह की संपत्ति अथवा साख आदि का नुकसान होता है तो वे नियोजक को क्षतिपूर्ति हेतु बाध्य होंगे और ऐसी क्षतिपूर्ति का निर्धारण नियोजक द्वारा किया जावेगा। साथ ही वह सुरक्षा नियमों का पूर्णतः पालन किये जाने हेतु बाध्य होगा।
- (17) यदि संविदा कार्मिक द्वारा नियोजक कंपनी को अपने किसी कदाचरण के फलस्वरूप कोई आर्थिक क्षति पहुँचाई जाती है अथवा वह किसी ऐसी गतिविधि में संलिप्त होता है, जिसका (प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभाव) नियोजक कंपनी को आर्थिक क्षति के रूप में होता है तो उस आर्थिक क्षति की भरपाई संविदा कार्मिक अथवा जमानतदार द्वारा की जावेगी।

- (18) संविदा कार्मिक यह सहमति देता है कि वह पूरी निष्ठा, लगन और उसकी संपूर्ण योग्यता, सदाचरण एवं ईमानदारी से निर्धारित प्रशिक्षण अवधि, यदि कोई है एवं उसके उपरांत भी नियमित सेवाएं प्रदान करेगा। वह इस बात की भी सहमति देता है कि वह नियोजक कंपनी के उच्च अधिकारियों और प्रबंधन द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्ण रूपेण कर्तव्यपरायणता से पालन करेगा और सीधे या परोक्ष रूप से ऐसे किसी भी व्यापार, व्यवसाय अथवा गतिविधि में सेवा अवधि के दौरान लिप्त नहीं होगा जब तक कि वह नियोजक को सेवाएँ देने के लिए बाध्य है। सेवा काल में पूरी गोपनीयता बरतेगा एवं ऐसे कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे इस कालखंड के दौरान अथवा उसके उपरांत उसको सौंपी गई अथवा उसके ज्ञान में आई नियोक्ता के कार्य व्यापार आदि के संबंध में गोपनीय जानकारी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों या किसी संस्था को उसके द्वारा ज्ञात हो।
- (19) संविदा पर नियोजित व्यक्ति द्वारा अनुबंध की समाप्ति के उपरांत वह नियोजक द्वारा सौंपी गई वस्तुएँ जानकारी/दस्तावेज अथवा नियोजक से संबंधित वस्तुओं को नियोजक को वापिस सौंपेगा।
- (20) संविदा पर नियुक्त श्री पद लाइन परिचारक (संविदा) कार्यालय में निर्धारित समय पर उपस्थित होगा एवं वह कार्यालय में आने व जाने के समय उपस्थिति पंजी में यथा स्थान पर हस्ताक्षर करेगा तथा उसे नियोजक द्वारा जारी संविदा आदेश में उल्लेखित नियंत्रक अधिकारी द्वारा समय—समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यों/कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा।
- (21) कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह उपरोक्त नियम/शर्तों में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी भी समय परिवर्तन कर सकती है।
- (22) संविदा कार्मिक का शारीरिक रूप से सुदृढ़ होना अनिवार्य है। कार्य संपादन के दौरान कार्मिक द्वारा सुरक्षा संबंधी मानकों तथा सुरक्षा उपकरणों का धारण किया जाना अनिवार्य है। तदसंबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही/अनदेखी पाये जाने पर कंपनी द्वारा कठोर कार्यवाही की जावेगी एवं कंपनी का अंतिम निर्णय मान्य एवं बाध्यकारी होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप इसके तीनों पक्षों ने इस संविदा करार को ऊपर लिखी तारीख..
.....मास.....वर्ष.....को निष्पादित करके निम्नलिखित की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किए और मुख्य अभियंता/.....,
मप्रपाट्रांकंलि, जबलपुर (नियोजक) कार्यालय की मुद्रा लगाई गई।

1) गवाह

हस्ताक्षर

नाम	_____	हस्ताक्षर	_____
व्यवसाय	_____	(संविदा पर नियोजित कार्मिक)	
पता	_____	नाम	_____
	_____	पता	_____

[Signature]

2) गवाह

हस्ताक्षर

नाम _____
 व्यवसाय _____
 पता _____

1) गवाह

हस्ताक्षर (हस्ताक्षर जमानतदार)
 नाम _____ नाम _____
 व्यवसाय _____ पता _____
 पता _____ पेन कार्ड नं.
 (छायाप्रतिसंलग्न)

2) गवाह

हस्ताक्षर
 नाम _____
 व्यवसाय _____
 पता _____

नोटरी द्वारा संविदा कार्मिक एवं जमानतदार के हस्ताक्षर का अभिप्रमाणन

हस्ताक्षर (हस्ताक्षर जमानतदार)
 (संविदा पर नियोजित कार्मिक)
 अभिप्रमाणित
 (नोटरी के हस्ताक्षर एवं सील)

1) नियोजक का गवाह
 हस्ताक्षर
 नाम _____
 पद एवं कार्यालय का नाम _____
 हस्ताक्षर नियोजक
 म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि. की ओर से हस्ताक्षर
 मुख्य अभियंता (.....)
 म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,.....

2) नियोजक का गवाह
 हस्ताक्षर
 नाम _____
 पद पद एवं कार्यालय का नाम _____
 नाम _____